संख्या-07/2024/आई/798726/37-3099/8/2023

प्रेषक

केO रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),

पशुपालन विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक: 18 नवम्बर 2024**

विषयः- प्रदेश में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम/डिप्लोमा कोर्स/सर्टिफिकेट कोर्स चलाये जाने हेतु नीति विषयक।

महोदय,

सम्यक विचारोपरांत प्रदेश में परापशुचिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु सरकारी/निजी संस्थानों में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु संबद्धता एवं मानक निर्धारण हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

1. प्रदेश में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में निम्न पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा कोर्स/सर्टीफिकेट कोर्स।

क्रमांक	प्रस्तावित पाठ्यक्रम/डिप्लोमा कोर्स/ सर्टीफिकेट कोर्स	अवधि
1.	डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी	दो वर्ष (चार सेमस्टर) तीन माह इन्टर्नशिप
2.	डिप्लोमा इन लाईवस्टॉक एक्टेंशन	दो वर्ष (चार सेमस्टर) तीन माह इन्टर्नशिप

नोटः- दो वर्ष कोर्स वर्क के पश्चात विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक में तीन माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

2. पैरावैटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवेदक संस्था की योग्यता :-

2.1 आवेदन किसी समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी के द्वारा ही किया जा सकेगा, जिसका पंजीयन "उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882" अथवा "दी कम्पनी एक्ट 2013" के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

2.2 आवेदक संस्थान के पास संस्था के स्वयं के नाम से/लीज पर न्यूनतम 05 एकड़ की अतिक्रमण मुक्त सहयुक्त पंजीकृत भूमि होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/शिथिलीकरण मान्य नहीं होगा।

2.3 संस्थान का प्रशासनिक व शैक्षणिक भवन तथा पशुचिकित्सालय (न्यूनतम 1200 वर्ग मीटर) सड़क एवं सुगम आवागमन की सुविधा युक्त स्थान पर संचालित किया जाना आवश्यक है। एक से अधिक स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में (न्यूनतम् 1200 वर्गमीटर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन हेतु) एवं 5 एकड़ (सहयुक्त भूमि) लाईवस्टॉक फार्म हेतु अनिवार्य है और प्रस्तावित संस्था के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5,00,000 से अधिक आबादी के नगर में स्थित होने की दशा में दोनों स्थानों के मध्य की दूरी म्युनिसिपल सीमा से 20 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.4 विश्वविद्यालयों (सरकारी/निजी) द्वारा भी उक्त नीति के प्रावधानों के तहत डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3. आवेदन शुल्क :-

3.1 पंजीकरण शुल्क (राशि रूपये 04.00 लाख नॉन रिफन्डेबल)

3.2 धरोहर राशि रूपये 20.00 लाख (रिफन्डेबल)

3.3 निरीक्षण शुल्क राशि रूपये 1.00 लाख (नॉन रिफन्डेबल)

3.4 संस्थाओं को पंजीयन शुल्क राशि रूपये 04.00 लाख आनलाइन आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारित बैंक खाते में ऑनलाईन जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट/चेक मान्य नहीं होगा।

3.5 धरोहर राशि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में निर्धारित 7 दिवस में जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त धरोहर राशि पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया :-

4.1 संस्था द्वारा आवेदन करते समय सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था द्वारा विज्ञप्ति अनुरूप पूर्ण आवेदन किया गया है। अपूर्ण आवेदन पाये जाने पर अपात्र होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

4.2 आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत संलग्नक दस्तावेज सुस्पष्ट अथवा पठनीय होना चाहिए तथा आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.3 संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र मय संलग्नकों की राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा की जायेगी। समिति पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर व्यावहारिक एवं आवश्यकता अनुरूप पाये जाने पर विस्तृत समीक्षा एवं अनुशंसात्मक टिप्पणी/ अभिमत अंकित करते हुए अनिवार्यता रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। जिस पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण दल का गठन किया जायेगा जिसमें उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा। उक्त निरीक्षण दल द्वारा भूमि, भवन, संस्थापन, उपकरण, पशु फार्म इत्यादि समस्त संसाधनों का मापदण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

4.4 गठित निरीक्षण दल अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मय अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

4.5 राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों की समीक्षा कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्णय लिये जायेंगे।

4.6 निरीक्षण दल के द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान त्रुटिपूर्ण/गलत सूचना पाये जाने पर संस्था का आवेदन निरस्त माना जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.7 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक मान्य होगा। उक्त अवधि में संस्था को उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा से सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में सम्बद्धता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा अमानत राशि लौटाई नहीं जाएगी।

4.8 पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पशुपालन विभाग, संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय (उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा), राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.9 पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा पाठयक्रम का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात राज्य सरकार अथवा संबंधित विश्वविद्यालय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण समय-समय पर कर सकेंगे। राज्य सरकार को संस्था में अनियमितता पाए जाने, अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त और उनके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन के आपराधिक कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने की स्थिति में संस्था को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निलम्बित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

4.10 पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय प्रशिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा।

4.11 संस्था द्वारा अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व ही यह स्पष्ट करना संस्था की जिम्मेदारी होगी कि उक्त प्रशिक्षण के आधार पर राज्य सरकार नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

4.12 आवश्यकता की स्थिति में पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/सोसायटी का राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही परिवर्तन किया जा सकेगा।

4.13 निजी एवं सरकारी पैरावेटनरी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने वाली संस्था को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एवं संबद्धता/मान्यता उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा विश्वविद्यालय की शर्तों पर प्रदान की जाएगी। निजी क्षेत्र में संबद्धता उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा एवं सरकारी क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों की दशा में विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा और अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

4.14 पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान में संचालित कोर्स का पाठ्यक्रम उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. सीट अभिवृद्धि :-

पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपनी वर्तमान डिप्लोमा सीटों में अभिवृद्धि संस्था के नियमानुसार संचालन के पश्चात् ही अनुमन्य होगी। इस हेतु संस्था को 1.00 लाख रू0 ऑनलाईन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जमा करवाते हुए सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् गठित कमेटी से निरीक्षण उपरांत योग्य पाये जाने पर सीटों में अभिवृद्धि राज्य सरकार की अनुमति से की जा सकेगी। निरीक्षण कमेटी में उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का भी एक सदस्य सम्मिलित किया जायेगा।

6. अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करना :-

डिप्लोमा प्रशिक्षण के संचालन हेतु जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित होंगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने से पूर्व संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा-

6.1 यदि प्रबन्ध मण्डल ने पशुपालन विभाग/सम्बद्धता प्रदाता विश्वविद्यालय को सूचित किये बिना:-

6.1.1 शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया हो।

6.1.2 शैक्षिक संस्था के किसी भवन या स्थान के स्वामित्व का अन्तरण कर दिया हो

6.1.3 संस्था का प्रबन्धन बिना राज्य सरकार के अनुमति के अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अन्तरित कर दिया गया हो।

6.1.4 यदि संस्था द्वारा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता किया जाना पाया जाय।

7. वेबसाईट निर्माण :-

प्रत्येक संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्वयं की वेबसाइट निर्मित करेगा एवं उसके URL Name को राज्य सरकार को 1 माह में उपलब्ध करायेगा। इस वेबसाइट में निम्नलिखित बिन्दु आवश्यक रूप से उल्लेखित करने होंगे-

7.1 संस्था की आधारभूत संरचना से संबंधित दस्तावेज (संस्था का पंजीयन, विधान, प्रबन्ध समिति इत्यादि) भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या माप एवं चित्र।

7.2 संस्था में वर्षवार एवं कक्षावार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या।

7.3 डिप्लोमा प्रशिक्षण संकाय में कक्षावार विद्यार्थियों का शुल्क चार्ट।

7.4 राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता की नवीनतम सत्र की प्रमाणित प्रति।

7.5 समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची (नाम, फोटो, योग्यता, विषय सहित)

7.6 गत सत्रों का कक्षावार परीक्षा परिणाम।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.7 प्रत्येक पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वेबसाईट को प्रत्येक 15 दिन में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

8. पाठ्यक्रम

8.1 राज्य सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से समिति का गठन कर तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रति 4 वर्ष पश्चात् पाठ्यक्रम की समीक्षा कर अद्यतन किया जायेगा।

8.2 दो वर्ष कोर्स वर्क के पश्चात विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक में तीन माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा जिसका हैन्ड्स ऑन ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार की अनुमति से जिन डिप्लोमा संस्थानों का संचालन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन स्वयं के स्तर से कर सकेगें तथा प्रमाण पत्र भी स्वयं के स्तर से जारी किया जा सकेगा, जिसका समस्त रिकार्ड प्रतिवर्ष राज्य सरकार, निदेशक, पशुपालन विभाग एवं संबंधित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्थानों का प्रतिवर्ष निरीक्षण करवाया जाएगा।

9. स्थापना हेतु मापदण्ड

9.1 संस्थान के पास निम्न सुविधाएं/संसाधन होना अनिवार्य है :-

9.1.1 आवेदक संस्था के स्वयं के नाम से/लीज पर न्यूनतम 05 एकड़ (जिसमें से न्यूनतम 1200 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक उपयोग हेतु संपरिवर्तित) की अतिक्रमण मुक्त पंजीकृत भूमि होना आवश्यक है। इस संबंध में कोई शपथ पत्र/ शिथिलीकरण मान्य नहीं होगा।

9.1.2 भूमि/भवन का संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन आवेदन से पूर्व अनिवार्य होगा।

9.2. संस्थान भवन

क्र.सं.	भवन	क्षेत्रफल	संख्या (60 छात्रों के लिए)	संख्या (100 छात्रों के लिए)
1.	व्याख्यान/परीक्षा कक्ष	न्यूनतम 800 वर्ग फुट	2	4
2.	प्रयोगशाला	न्यूनतम 800 वर्ग फुट	2	2
3.	पुस्तकालय	न्यूनतम 1200 वर्ग फुट	1	2
4.	प्राचार्य कक्ष	न्यूनतम 200 वर्ग फुट	1	1
5.	स्टाफ कक्ष	न्यूनतम 300 वर्ग फुट	1	1
6.	सहायक कर्मचारी कक्ष/ सह भण्डार कक्ष	न्यूनतम 12X12 फीट	1	1
7.	कम्प्यूटर कक्ष	न्यूनतम 400 वर्ग फुट	1	1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8.	प्रसाधन कक्ष	छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक-पृथक	2	2
9.	पशुचिकित्सालय (डिप्लोमा संस्था द्वारा संचालित)	पशु चिकित्सक कक्ष (न्यूनतम 10X12 फीट)	1	1
		स्टाफ रूम (न्यूनतम 12X12 फीट)	1	1
		लैब (न्यूनतम 10X12 फीट)	1	1
		एल एन 2/उपकरण कक्ष (न्यूनतम 10X12 फीट)	1	1
		स्टोर (न्यूनतम 10X12 फीट)	1	1
		प्रसाधन	1	1

9.2.1 उपरोक्त समस्त सुविधायुक्त संस्थान भवन, चिकित्सालय, शौचालय, पुस्तकालय एक ही परिसर में संस्थान के स्वयं के स्वामित्व की संस्थानिक परिवर्तित भूमि पर स्थित होना आवश्यक है।

9.2.2 संस्थान सड़क एंव सुगम आवागमन की सुविधा से जुड़ा होना आवश्यक है एवं समुचित पानी, बिजली, शौचालय (छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक-पृथक) की सुविधा एवं छात्रों के खेलकूद के लिए पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए।

9.2.3 वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था।

9.2.4 व्याख्यान/परीक्षा कक्ष में पर्याप्त रोशनी व हवादार हो तथा छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी एवं टेबिल की व्यवस्था हो।

9.2.5 संस्था की सुदृढ़ वित्तीय तरलता स्वरूप बैंक पासबुक की छाया प्रति (न्यूनतम 5 लाख रूपये) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.2.6 भवन सुरक्षा प्रमाण पत्रः- भवन की सुरक्षा का प्रमाण पत्र संस्था के क्षेत्राधिकार अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)/पंचायत समिति/नगर निकाय में कार्यरत सक्षम अभियन्ता (न्यूनतम सहायक अभियन्ता) से लिया जाना आवश्यक है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

9.2.7 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रः- संस्था के भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा तथा समय-समय पर इसका नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9.3 संस्थापन व्यवस्था :-

क्र0 सं0	पद तथा योग्यता	संख्या (60 छात्रों के लिए)	संख्या (100 छात्रों के लिए)
1.	प्रधानाचार्य-एम.वी.एससी. तथा पांच वर्षो का पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव अथवा बी.वी.एससी. एवं ए.एच. तथा 20 वर्षो का पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव	1	1
2.	प्रवक्ता-बी.बी.एससी. एण्ड ए.एच./एम.वी.एससी.	3	4
3.	फार्म सुपरवाइजर	1	1
4.	लेबोरेट्री असिस्टेंट	1	2
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर Diploma or Certificate in Computer Application	1	1
6.	लिपिक	1	2
7.	अटेन्डेन्ट/स्वीपर	3	5
8.	बस ड्राइवर (आवश्यकतानुसार)	1	1

9.3.1 कम्प्यूटर कक्ष में न्यूनतम 10 कम्प्यूटर होने आवश्यक हैं, जिनमें इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा हो।

9.4. पुस्तकालय सामग्री :-

क्र0 सं0	विवरण	संख्या (60 छात्रों के लिए)	संख्या (100 छात्रों के लिए)
1.	प्रत्येक विषय से संबंधित पुस्तकें, नवीनतम संस्करण न्यूनतम 2 प्रकाशन/लेखक	10	20
2.	प्रत्येक विषय से संबंधित प्रयोगशाला मैनुअल, प्रतियां	10	20
3.	सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व, पर्यावरण एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित साहित्य	50	100
4.	दैनिक समाचार पत्र-किन्हीं 2 हेतु नियमित सदस्यता (Subscription)	04 प्रतियॉ	10 प्रतियॉ
5.	साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्रिकाएं - किन्हीं 2 हेतु नियमित सदस्यता (Subscription)	02 प्रतियॉ	06 प्रतियॉ
6.	दृश्य-श्रव्य संसाधन (Audio & Visual Aids) ओवर हैड प्रोजेक्टर/स्लाइड प्रोजेक्टर	01 (न्यूनतम)	02 (न्यूनतम)

नोट :- छात्र व छात्राओं के लिए बुक बैंक सुविधा अनिवार्य हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9.5 पशुशाला/पशु फार्म हेतु पशु संख्या :-

न्यूनतम् 2 एकड़ का चारा फार्म होना अनिवार्य है।

क्र0 सं0	विवरण	संख्या (60 छात्रों के लिए)	संख्या (120 छात्रों के लिए)
1.	गाय, भैंस	न्यूनतम 10	न्यूनतम 20
2.	भेड़, बकरी	न्यूनतम 01 नर एवं 20 मादा	न्यूनतम 02 बकरे एवं 40 बकरियाँ
3.	मुर्गी	न्यूनतम 100 लेयर का संचालित फार्म	न्यूनतम 200 लेयर का संचालित फार्म
4.	सूकर	1 नर + 5 मादा	2 नर +10 मादा

9.6 ऐनाटोमी प्रयोगशाला की सामग्री :-

9.6.1 स्केंलटन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुता एवं मुर्गा

9.6.2 पशु विज्ञान से सम्बंधित विभिन्न मॉडल संख्या 10

9.6.3 शल्य क्रिया संबंधी औजार-**संलग्नक 1 अनुसार**

9.6.4 काँच के उपकरण जार स्लाइड एवं टेस्ट ट्यूब-**संलग्नक 2 अनुसार**

9.7 आवश्यक औषधियां व सामान :-

9.7.1 केमिकल्स **संलग्नक- 3 अनुसार**

9.7.2 माइनर पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियां- **संलग्नक- 4 अनुसार**

9.7.3 प्रदर्शन चार्ट्स, बीमारी व उपचार चार्ट्स- **संलग्नक-5 अनुसार**

9.7.4 माइनर पशु चिकित्सा में काम आने वाला सामान- **संलग्नक- 6 अनुसार**

9.8 प्रजनन विज्ञान के संबंधित सामान- **संलग्नक- 7 अनुसार**

9.9 शल्य क्रिया से सम्बन्धित औजार :- **संलग्नक-1**

क्र0सं0	औजार विवरण	संख्या
1.	बरडीजो (Burdizo)	2
2.	पिन्स फोरसेप (Peans Forcep)	2
3.	कोचर फोरसेप (Kocher Forcep)	2
4.	मोस्कीटो फोरसेप (Mosquito forcep)	2
5.	मेयो सिजर (Mayo Scissor)	2
6.	ट्रोमेटिक निडल स्ट्रेट (Straight Traumatic Needles)	6
7.	ट्रोमेटिक निडल कर्वड (Curved Traumatic Needles)	6
8.	एट्रोमेटिक निडल स्ट्रेट (Straight Atraumatic Needles)	6
9.	एट्रोमेटिक निडल कर्वड (Curved Atraumatic Needles)	6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10.	बी.पी. नं. 3 (B-P No.3)	2
11.	बी.पी. नं. 4 (B-P No.4)	2
12.	बी.पी. ब्लैड नं. 10-15 (B-P BladeNo. 10-15)	6
13.	बी.पी. ब्लैड नं. 20-25 (B-P BladeNo. 20-25)	6
14.	कोटन थ्रेड सूचर मेटीरियल (Cotton Thread Suture Meterial)	2 पैकेट
15.	सिल्क सूचर मेटीरियल (Silk Suture Meterial)	2 पैकेट
16.	स्टेनलेस स्टील सूचर मेटीरियल (Stainless Steel Suture Meterial)	2 पैकेट
17.	प्लेन केटगट 2 सूचर मेटीरियल (Plain Catgut Suture Meterial)	2 पैकेट
18.	क्रोमिक केटगेट सूचर मेटीरियल (Chromic Catgut Suture Meterial)	2 पैकेट
19.	स्टोमक ट्यूब फॉर शीप एण्ड गोट (Stomach Tube for Sheep and Goat)	2 पैकेट
20.	प्रोबेंग (Probang)	2
21.	घोड़े के गिराने के लिए होबल (Hobbles)	4
22.	चिसल और हेमर (Chisel and Hammer)	2
23.	स्टील की आरी (Stainless Steel Saw)	2
24.	क्यूरेट्र (Curater)	2
25.	सीटन निडल (Seton Needle)	2
26.	चीटल फोरसेप (Cheatle Forcep)	2
27.	इरीगेटर (Irrigator)	2
28.	टीट ट्यूमर एक्सट्रेक्टर (Teat Tumour Extrector)	2
29.	टीट बिस्ट्यूरी (Teat Bistoury)	2
30.	टीट साइफन्स (Teat siphons)	2
31.	हूफ पिन्सर (Hoof Pincer)	2
32.	हूफ टेस्टर (Hoof Tester)	2
33.	हूफ रास्प (Hoof Rasp)	2
34.	निडल होल्डर (Needle Holder)	2
35.	थम्स फोरसेप (Thumbs Forcep)	2
36.	प्लास्टर सा (Plaster Saw)	2
37.	प्लास्टर स्प्रेडर (Plaster Spreader)	2
38.	डीहॉर्नर (Dehorner)	1

9.10 ग्लास उपकरण/सामान :- **संलग्नक-2**

क्र0सं0	सामान	मात्रा	संख्या
1.	Test Tubes	10 ml.	50
2.	Beaker	500 ml.	2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	Glass Slide	--	100
4.	Cover Slips	--	100
5.	Measuring cylinder	500 ml.	2
6.	Flask	500 ml.	2
7.	Test Tube Stand	--	2
8.	Glass Pipette	2 ml., 5 ml., 10 ml.	2 each

9.11 केमिकल (Chemicals) :-

संलग्नक-3

क्र0सं0	केमिकल का नाम	मात्रा	संख्या
1.	Ammonium Chloride	500 gm	1 pkt.
2.	Kaolin	500 gm	1 pkt.
3.	Pectin	500 gm	1 pkt.
4.	Castor Oil	500 gm	1 Bottle
5.	Plaster of Paris	500 gm	1 pkt.
6.	Wood Charcoal	500 gm	1 pkt.
7.	NaOH	500 gm	1 pkt.
8.	KOH	500 gm	1 pkt.
9.	Sodium Chloride	500 gm	1 pkt.
10.	Sodium Iodide	100 gm	1 pkt.
11.	Potassium Iodide	100 gm	1 pkt.
12.	Magnesium Sulphate	500 gm	1 pkt.
13.	Iodine Crystal	100 gm	1 pkt.
14.	Methyl Alcohol	500 ML	1 Bottle
15.	Copper Sulphate	500 gm	1 pkt.
16.	Magnesium Oxide	500 gm	1 pkt.
17.	Potassium permanganate	500 gm	1 pkt.
18.	Glycerine	500 ML	1 Bottle
19.	Boric Acid	500 gm	1 Bottle

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20.	Sodium Bi Carbonate	500 gm	1 pkt.
21.	Sodium Acid Phosphate	500 gm	1 pkt.
22.	Turpentine Oil	500 ML	1 1 Bottle

9.12 पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियां :- **<u>संलग्नक-4</u>**

1. सभी प्रकार की एन्टीबायोटिक्स की एक-एक वायल
2. सभी प्रकार की एन्टी इन्फलामेटरी दवाओं की एक-एक वायल
3. सभी प्रकार की Steroid की एक-एक वायल
4. सभी प्रकार की एन्टीपायरेटिक की एक-एक वायल
5. सभी प्रकार की Fluid Therapy की एक-एक बोटल
6. सभी तरह की Dewormer की Tablets, Bolus, Injection and Packet
7. सभी हर्बल दवाओं का एक-एक पैकेट
8. सभी Haemostatic दवाओं की एक एक वायल
9. सभी तरह की Intramammary Preparation की एक -एक Tube
10. Calcium Borogluconate की One Bottle
11. Calcium Magnesium Borogluconate की One Bottle
12. एंटीसेप्टिक क्रीम-Betadine, Loraxene etc. की एक- एक Tube
13. सभी तरह की External Parasite की दवाओं की एक -एक वायल

<u>9.13 प्रदर्शन चार्ट :-</u> **<u>संलग्नक -5</u>**

1. Cell Structure & कोशिका की संरचना का चार्ट
2. मांसपेशियों का चार्ट
3. Chart of Digestive System of Ruminant
4. Chart of Nervous System of Cow गाय के तंत्रिका तंत्र का चार्ट
5. मुर्गी के स्केलटन का चार्ट
6. मुर्गी के श्वसनतंत्र का चार्ट
7. मुर्गी के पाचन तंत्र का चार्ट
8. Chart of Circulatory System
9. Chart of Urinary System of Animal
10. Chart of Urogenital System of Male Animal
11. Chart of Urogenital System of Female Animal

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. Chart of Uddar
13. पशुओं की विभिन्न नस्लों का चार्ट
14. वैक्सिनेशन चार्ट - गाय व भैंसो के संक्रामक रोगों का
15. वैक्सिनेशन चार्ट - भेड़ व बकरी के संक्रामक रोगों का
16. वैक्सिनेशन चार्ट - मुर्गी के संक्रामक रोगों का
17. Specimen of Large animal skeleton

9.14 पशु चिकित्सा में काम आने वाला सामान :- **संलग्नक -6**

क्र0सं0	सामान का नाम	संख्या
1.	ड्रेचिंग गन (Drenching Gun)	1
2.	वेक्सिनेटर (Vaccinator)	1
3.	स्टर्लाइजर (Sterilzer)	1
4.	माउथ गैग फोर केटल (Mouth Gag for Cattle)	2
5.	माउथ गैग फोर हॉर्स (Mouth gag for Horse)	2
6.	कैथेटर (Catheter)	2
7.	स्टोमक ट्यूब फोर केटल (StomachTube for Cattle)	1
8.	स्टोमक ट्यूब फोर शीप एण्ड गोट (Stomach Tube for Sheep and Goat)	1
9.	प्रोबेंग फोर केटल (Probang for Cattle)	1
10.	सूत की रस्सी (Cotton Ropes Bundle)	1
11.	प्लास्टिक की रस्सी (Plastic Ropes Bundle)	1
12.	आई वी सेट (I-V-Set)	2
13.	बटर फ्लाई नीडल (Butter Fly Needle)	2
14.	मजल फोर डॉग (Muzzle for Dog)	2
15.	इरीगेटर (Irrigator)	1
16.	टीट साइफन्स (Teat siphons)	2
17.	ट्रेविस (Travis)	1
18.	Disposal syringes 5ml, 10ml, 20ml, 50ml	10 प्रत्येक
19.	Needles 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 and 26 No.	20 प्रत्येक
20.	Trocar Cannula	2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21.	Binocular Microscope	1
22.	Bull Nose Ring	1

9.15 पशु प्रजनन विज्ञान से सम्बन्धित सामान:- **संलग्नक-7**

क्र0सं0	सामान का नाम	संख्या
1.	Uterine Catheters	2
2.	Vaginal Speculum for Large animal	1
3.	Vaginal Speculum for small animals	1
4.	Rectal Palpation Sleeves	1Pkt.
5.	Phantom Box	1
6.	Obstetrical instruments	1 Set
7.	All instruments for Phantom	1Set
8.	A.I. Gun	1
9.	A.I. Box	1
10.	LN2 Container (Liquid Nitrogen Container) -3L, 5L, 23L	1 each
11.	Clinical Thermometer& Glass] Digital	2 each
12.	Disposable Sleeves	1 Pkt.
13.	Sheath	1 Pkt.
14.	Cover Slips	2 Pkt.
15.	Microscope	5
16.	Autoclave	1
17.	Hot Air Oven	1
18.	Freeze	1
19.	Artificial Vagina	1

10. आवेदक संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (चेक लिस्ट) प्रस्तुत किये जायेंगे :-

10.1 पूर्णतया भरा हुआ निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय आवेदन शुल्क।

10.2. आवेदक संस्था/सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपि।

10.3 संस्थान के विधान की सत्यापित प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10.4 आवेदक संस्थान की न्यूनतम 05 एकड़ की अतिक्रमण मुक्त एवं सहयुक्त भूमि के स्वामित्व/लीज संबंधी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र। संस्थान एवं प्रक्षेत्र अलग-अलग स्थान पर होने की दशा में सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त तहसीलदार/ सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जारी दूरी प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा।

10.5 संस्था की कार्यकारिणी/संचालक मंडल के समस्त सदस्यों के फोटो, धारित पदनाम, पता एवं उनके हस्ताक्षर की सत्यापित प्रति।

10.6 प्रस्तावित संस्था के लिए चिन्हित भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नक्शा ट्रेश (खसरा प्लान), जीओ टेगिंग अंकित करते हुए संलग्न नक्शा, मौके की स्थिति को दर्शाते हुए फोटोग्राफ्स ।

10.7 संस्था के पास न्यूनतम कार्यशील पूंजी हेतु एफडीआर और संबंधित बैंक स्टेटमेन्ट की सत्यापित प्रति के साथ नवीनतम फंड स्थिति का विवरण।

10.8 संस्था/समिति के आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होने एवं आपराधिक गतिविधि में दोष सिद्ध नहीं रहने तथा संस्था के नाम भूमि/भवन विवादित नहीं होने सम्बन्धित शपथ पत्र (राशि रुपये 100/-के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर)।

10.9 राज्य सरकार के विषयवस्तु से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य में जारी होने वाले सभी नियमों/निर्देशों की अनुपालन करने सम्बन्धित शपथ पत्र (राशि रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर)।

10.10 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report)

10.11 संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन किये जाने हेतु उ0 प्र0 पं0 दीन दयाल पाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा आनलाइन पोर्टल/आवेदन पत्र विकसित किया जायेगा।

10.12 एन0ओ0सी0 हेतु पशुपालन निदेशालय स्तर पर एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।

11. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार संस्थाओं को अनापत्ति प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने एवं उपरोक्त नीति के अनुसार लिये गये निर्णयों के क्रम में अन्य यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कुल सचिव, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदन पत्र एवं ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने तथा निर्णयानुसार अन्य अपेक्षित कार्यवाहियां तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।